### ER. SAWAN KUMAR

B.Tech, Civil Regist. Building Engineer, Valuer. Regist. From Nagar Parishad, Siwan Reg.No-10/2020-21 Head office Ashiyana Map & Construction Rajgharana, Near ShekharCinema,Siwan

(Bihar)-841226

## **BUILDING SAFETY CERTIFICATE**

No.AMC/BSC/2021/148

Date: - 18/11/2021

Certified that the CHILDREN'S RISE HIGH SCHOOL, TARWARA, SIWAN-841506 (BIHAR) under aegis of "RAMA RADHIKA SOCIAL WELFARE EDUCATIONAL TRUST" comprised of Ground Plus two upper floors owned /occupied by CHILDREN'S RISE HIGH SCHOOL, TARWARA, SIWAN-841506 have complied with the Building Bye- Laws in accordance with rule of state /UT, and incorporate the provisions of Building Safety as specified in National Building Code 2005,2016 and as amended thereafter and has been verified by the concerned officer on 13/11/2021 (date of inspection) in the presence of the Vinod Kumar Prasad, Manager, CHILDREN'S RISE HIGH SCHOOLand that the said above building/ premises is safe and fit for running school with effect from 18/11/2021 for a period of 65 (Sixty five) years in accordance with rules.

Issued on 18/11/2021at SIWAN.

Er. Sawan Kumar (B. Tech. Civil)

Certified Registered Engineer

Reg. No. 10/20 Parish Road, Siwan 84 1226

Rajgharana Station Road, Siwan 84 1226

To, CHILDREN'S RISE HIGH SCHOOL TARWARA, SIWAN

#### ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by department stand cancelled and annulled due to
( reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

### कार्यालय नगर परिषद्, सिवान पत्रांक 62.2

प्रेषक.

नगर कार्यपालक पदाधिकारी. नगर परिषद्, सिवान।

प्रेषित

श्री सावन कुमार, अभियंता, राज घराना स्टेशन रोड. सिवान।

सिवान, दिनांक / े वीं अप्रैल 2021 ई0।

विषय :--निवंधन नवीकरण करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक कहना है कि आपसे प्राप्त आवेदन के आलोक में आपको नगर परिषद्. सिवान में भवन निर्माण का नक्शा तैयार करने एवं अनुशंसा हेतु अभियंता के रूप में आपका निकंबन वित्तिय वर्ष 2021-22 के लिए नवीकृत किया जाता है। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या- 5/न० विधि-01/2014/884/न० विधि एवं आ० वि०/पटना दिनांक- 07.04. 2014 द्वारा भवन निर्माण योजना की स्वीकृति हेतु नियमावली तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका संशोधन अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम, 2, 2014) बिहार गजट में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत भी अभियंता को भवन निर्माण में सहयोग करने की शक्ति प्रदान की गई है।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त नियमावली एवं बिहार गजट के पूर्व प्रावधानों के साथ-साथ नगर परिषद के बोर्ड द्वारा भवन संबंधित जो भी निर्णय लिए जायेंगे तदनुसार भवन निर्माण हेत् अभियंता के रूप में नवशा पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित किया जाय।

नवशा तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में भवन उप विधि और बिहार नगरपालिका अधिनियम के अन्य मानकों का उल्लंघन, अतिक्रमण या विचलन नहीं किया जाय। इस तरह की कोई कार्य करने पर आपके निकंघन को रदद करते हुए आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

> नगर कार्यपालक पदाधिकारी. नगर परिषद्, सिवान।

ज्ञापांक 622 / दिनांक/ १/२०२1/ श्री कृष्णा कुमार, संविदा कम्प्युटर ऑपरेटर/प्रभारी प्रधान सहायक -सह- लेखापाल/कनीय अभियंता, नगर परिषद, सिवान को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

> नगर कार्यपालक मुद्रह्मिक्सी नगर परिषद्, सिवान।

प्रतिलिपि :-

# कार्यालय नगर परिषद, सिवान। 1800

\$15K-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सिवान।

सेवा में

भी सावन खुमार, अभियंता राज घराना स्टेशन रोड सिवान।

सिवान, दिनांक 20 वी अक्टूबर 2020 ई01

विषय-

भवन निर्माण योजना को तैयार करने एवं अनुशंसा करने हेतु अनियंता के रूप में निर्वाधित करने के संबंध में।

महासब.

उपर्युक्त विषयक कहना है कि आपसे प्राप्त आवेदन के आलोक में पत्र द्वारा आपको नगर परिषद, सिवान में भवन निर्माण को तैयार करने एवं अनुशंसा हेतु अनियंता के रूप में आपको प्राधिकृत किया जाता है। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-5/न0 विभि-01/2014/884/न0 विधि एवं आठ विठ/पटना दिनांक- 07.04.2014 द्वारा भवन निर्माण योजना की स्वीकृति हेतु नियमावली तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम् 2013 (बिहार अधिनियम् 2, 2014) बिहार गजट में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत भी अनियंता को भवन निर्माण में सहयोग करने की शक्ति प्रदान की गई है।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त नियमावली एवं बिहार गजट के पूर्व प्राक्यानों के साथ-साथ नगर परिषद् के बोर्ड द्वारा भवन संबंधित जो भी निर्णय लिए जायेगे तदनुसार भवन निर्माण हेतु अभियंता के रूप में नक्शा पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य हेतु आपको पंजीकरण संख्या-19/2020-24आवंटित किया जाता है। जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मान्य होगा। वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरांत पंजीकरण नदीकरण करना होगा।

नक्ता तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में भवन उप विधि और बिहार नगर पालिका अधिनियम के अन्य मानकों का उल्लंघन, अतिक्रमण या विचलन नहीं किया जाय। इस तरह की कोई कार्य करने पर आपके निबंधन को रद्द करते हुए आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

नगर परिषद, सिवान।

ज्ञापांक 1800/ दिनांक 20/19/2020/ श्री कृष्णा कुमार, संविदा कम्प्युटर ऑपरेटर / प्रभारी प्रधान सहायक -सह-प्रतिलिपि :--लेखापाल / कनीय अभियंता, नगर परिषद्, सिवान को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।